

लोक सुनवाई का वृत्त।

श्री बिजेन्द्र कुमार, पिता-श्री धूपनाथ राय, ग्राम-जीवराखन टोला, पोस्ट ऑफिस-ब्यापुर, मनेर, जिला-पटना द्वारा वैशाली गंगा-4E बालू घाट, मौजा-परोहा (थाना सं. 363), हल्का-जहांगीरपुर, ब्लॉक-राघोपुर, जिला-वैशाली के अन्तर्गत परियोजना से संबंधित पर्यावरणीय स्वीकृति के वास्ते पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के अधिसूचना सं०-एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर, 2006 के तहत दिनांक 12.09.2026 को अपराह्न 12:00 बजे वैशाली जिला के अंचल कार्यालय, राघोपुर, जिला-वैशाली में लोक सुनवाई की गयी।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार अधिसूचना सं०-एस.ओ. 1533, दिनांक 14 सितम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत राज्य स्तरीय पर्यावरणीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण, बिहार के द्वारा निर्गत TOR File.No.SIA/1(a)/3994/2026, dated 09.07.2026 के आलोक में श्रीमति किरण सिंह, अपर समाहर्ता, वैशाली (जिला पदाधिकारी, वैशाली के प्रतिनिधि) की अध्यक्षता में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्, द्वारा दिनांक 12.09.2026 को अपराह्न 12:00 बजे अंचल कार्यालय, राघोपुर, जिला-वैशाली में लोक-सुनवाई आयोजित की गयी। अपर समाहर्ता, वैशाली V.C. के माध्यम से उपस्थित हुए। उपस्थिति पंजी संलग्न (अनुलग्नक-1)

इस लोक-सुनवाई की सूचना बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् द्वारा दैनिक समाचार पत्रों यथा दैनिक जागरण, हिन्दुस्तान एवं हिन्दुस्तान टाइम्स के माध्यम से दिनांक 12.08.2026 को प्रकाशित की गयी थी (प्रतिलिपि संलग्न)। लोक-सुनवाई के दौरान श्री आशीष कुमार गुप्ता, क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्, पटना द्वारा लोक-सुनवाई में उपस्थित जन-समुदाय एवं सभी संबंधित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना सं०-एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत इकाई के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक-सुनवाई की पृष्ठ-भूमि पर प्रकाश डाला गया। लोक हित में कार्य योजना से संबंधित सुनवाई के उद्देश्य से उपस्थित लोगों को अवगत कराया गया। साथ ही स्थानीय लोगों से पर्यावरण संरक्षण एवं लोक हित के संबंध में सुझाव/विचार/मंतव्य माँगा गया।

लोक सुनवाई कार्यक्रम के अध्यक्ष के अनुमति से परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार श्री शत्रुघ्न प्रसाद ने इकाई की खनन कार्य परियोजना, प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं कॉरपोरेट पर्यावरण जिम्मेदारी (Corporate Environmental Responsibility) आदि के संबंध में आमजनों को विस्तृत रूप से अवगत कराया। इनके द्वारा सूचित किया गया कि खनन कार्य के उपरान्त परिवहन के दौरान उत्सर्जित होने वाले धूल-कण की रोक-थाम हेतु सड़को पर नियमति रूप से जल छिड़काव किया जायेगा। वाहनों पर ओवरलोडिंग नहीं की जायेगी। वाहनों को तिरपाल से ढक कर ले जाया जायेगा। खनन कार्य सतह से 3 मीटर की गहराई तक या भू-जल स्तर से ऊपर तक किया जायेगा। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु ध्वनि यंत्र (हार्न) का न्यूनतम उपयोग किया जायेगा। पुराने एवं खराब वाहनों का इस्तेमाल नहीं किया जायेगा। सड़क के किनारे एवं खनन पट्टा क्षेत्र में वृक्षारोपण (100 नं०) का कार्य किया जायेगा। बालू खनन के दौरान

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2016 (SSMG-2016) एवं Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining-2020 (EMGSM-2020) के प्रावधानों का अनुपालन किया जायेगा।

परियोजना प्रस्तुतिकरण के पश्चात् उपस्थित महानुभावों द्वारा दिए गए सुझाव/मंतव्य निम्नवत हैं:-

क्रमांक	नाम एवं पता	प्रतिक्रिया/सुझाव
1.	श्री चूल्हाय राय, जाफराबाद, जिला-वैशाली।	इनके द्वारा बताया गया कि बालू खनन परियोजना से घूल-कण समस्या काफी अधिक होती है, जिससे स्थानीय लोगों को आने-जाने में समस्या का सामना करना पड़ता है। पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि इस परियोजना के तहत पानी का छिड़काव नियमित रूप से किया जायेगा। बालू से लदा गाड़ी तिरपाल से ढककर ले जाया जायेगा। ओभर लोडिंग नहीं किया जायेगा। PUC निबंधित वाहन का ही उपयोग किया जायेगा।
2.	श्री मंतोष कुमार, जहाँगीरपुर, जिला-वैशाली।	इनके द्वारा पूछा गया कि बालू खनन परियोजना में वृक्षारोपण कहाँ किया जायेगा एवं कितने पेड़ लगाये जायेंगे। पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि खनन परियोजना शुरू होते ही लगभग 110 पेड़ लगाये जायेंगे। इन पेड़ों की सुरक्षा एवं रख-रखाव परियोजना संचालक द्वारा किये जायेंगे। पेड़ हॉल रोड, गाँव के आस-पास इत्यादि जगह पर लगाये जायेंगे। पेड़ के रख-रखाव हेतु स्थानीय लोगों को ही माली के रूप में रखा जायेगा। साथ-ही-साथ स्थानीय गाँव के लोगों अपनी निजी जमीन पर पेड़ लगाना चाहेंगे तो वह संवेदक से सम्पर्क कर सकते हैं।
3.	श्री रूपक कुमार, जाफराबाद, जिला-वैशाली।	इनके द्वारा पूछा गया कि इस परियोजना में स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जायेगा या नहीं। पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि इस परियोजना के आधार पर 32 लोगों को रोजगार दिया जायेगा। प्राथमिकता के आधार पर स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जायेगा। जिनकी जो योग्यता होगी, उनको वैसा काम दिया जायेगा।
4.	श्री राजीव कुमार, सोनपुर (परियोजना प्रस्तावक), जिला-वैशाली।	परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताये गये सारे नियम का पालन करूँगा और खनन प्रभावित क्षेत्र के हित में हमेशा कार्य करूँगा।

5.	खनिज विकास पदाधिकारी, जिला-वैशाली।	खनिज विकास पदाधिकारी, जिला-वैशाली द्वारा सुझाव दिया गया कि खनन से प्रभावित क्षेत्र में रहने वाले लोगों के राहत कार्य एवं पर्यावरण संरक्षण हेतु ग्रामीण सड़क का मरम्मत, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र, पेड़-पौधा लगाने में राहत कार्य इत्यादि परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जानी है।
----	------------------------------------	--

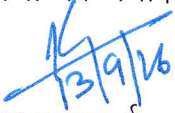
अध्यक्ष महोदय द्वारा निदेश दिया गया कि खनन के दौरान बालू लदे वाहन का परिवहन तिरपाल से ढककर किया जाय। वृक्षारोपण की संख्या में बढ़ोतरी की जाय एवं स्थानीय लोगों को रोजगार में प्राथमिकता दी जाय।

अध्यक्ष महोदय द्वारा उम्मीद जताया गया कि संवेदक द्वारा पर्यावरण संरक्षण के बिन्दुओं पर गम्भीरता से ध्यान रखा जायेगा। साथ ही वैज्ञानिक तरीके से बालू खनन का कार्य एवं विभागीय निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

जन-सुनवाई के अंत में उपस्थित जनता के सुझाव को संग्रहित करते हुए सक्षम प्राधिकार को अग्रसारित करने का निर्णय लिया गया। लोक-सुनवाई के दौरान प्राप्त सुझाव के आलोक में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की जा सकती है।

तत्पश्चात् लोक सुनवाई सधन्यवाद समाप्त करने की घोषणा की गयी।


क्षेत्रीय पदाधिकारी
बि.रा.प्र.नि.पर्वद, पटना

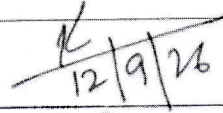
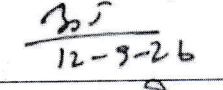
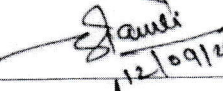
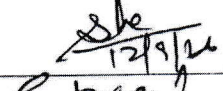

अपर समाहर्ता,
वैशाली

उपस्थिति सूची

श्री बिजेंद्र कुमार, ग्राम-जीवराखन टोला, पोस्ट ऑफिस-ब्यापुर, मनेर, जिला-पटना द्वारा वैशाली गंगा-4E बालू घाट, मौजा-परोहा (थाना सं. 363), हल्का-जहांगीरपुर, ब्लॉक-राघोपुर, जिला-वैशाली से संबंधित पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक- सुनवाई के दौरान उपस्थित व्यक्तियों की सूची:

स्थान-अंचल कार्यालय, राघोपुर, जिला-वैशाली दिनांक 12.09.2026

समय-12:00 A.M.

क्र.सं.	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	किरण सिंह	सहायक (आलय)	 12/9/26
2.	मोहम्मद हुसैन गुला	अ.प.प. वि. ट. 5. वि. पथर, पटना	 12-9-26
3.	Seena Kumari	Dmo varshali	 12/09/2026
4.	Shishupat Kumar	Managing Inspector, Varshali	 12/9/26
5.	Shatabhgham Prasad	Ecumen managing Rti. Hld.	S. Prasad
6.	Rishi Sr	Raghopur Enforcement Officer	Rishi Sr
7.	ANANJAN	रिवाजगं 420	रविश कुमार
8.	राहुल	अ.प.प. गुला	राहुल
9.	चुलही राम	अफरा बाट 213	Chulhi Ram
10.	रणविर कुमार	अफरा बाट	रणविर कुमार
11.	देवप्रसाद ठाकुर	जमराबाड	देवप्रसाद ठाकुर
12.	विकास कुमार	अफरा बाट	विकास कुमार
13.	विनोद कुमार	अफरा बाट	विनोद कुमार
14.	अमित कुमार	रिकावगं	Amit Kumar
15.	पवन कुमार	रिकावगं	पवन कुमार

16	Shankumale.	Raghupur	
17	वि-3 कुमर	वि-3 कुमर	वि-3 कुमर
18	विमल कुमर	विमल कुमर	(Rince) KS
19	Santosh Kumar	संतोष कुमार मामा श्री राज	Santosh Kumar
20	Abhishek Kumar	K.P.O. - Rungtampur	Abhishek Kumar
21	विमल कुमर	पुनर्जीवपुर, मीरपुर राजपुर, वैशाली	विमल कुमर
22	विमल कुमर	कल्याणपुर	Viagra Rayan
23	PAPPU THAKUR	Raghupur	PAPPU THAKUR
24	सुनील कुमार	मीरपुर	सुनील कुमार
25	दीपक कुमार	राजपुर	Deepak Kumar
26	सुनील कुमार	सुनील कुमार	सुनील कुमार
27	सुनील कुमार	सुनील कुमार	सुनील कुमार
28	सुनील कुमार	सुनील कुमार	Ram Kumar Ray
29	सुनील कुमार	सुनील कुमार	सुनील कुमार
30	Mantosh Kumar	Purushottampur	Mantosh Kumar
31	Rash Kumar Ray	Purushottampur	Rash Kumar Ray
32	Rahul Kumar	Purushottampur	Rahul Kumar
33	Abhishek Kumar	Rustampur	
34			
35			
36			